रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23062025-264057
CG-DL-W-23062025-264057

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, जून 8—जून 14, 2025, शनिवार/ ज्येष्ठ 18—ज्येष्ठ 24, 1947
No. 19] NEW DELHI, JUNE 8— JUNE 14, 2025, SATURDAY/JYAISHTHA 18—JYAISHTHA 24, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

सा.का.नि. 75 —केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स(समूह 'ग' के योधक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध नायब सूबेदार(भेषजज्ञ) के पद से है, और असम राइफल्स(समूह 'ख' योघक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहा ंतक उनका संबंध सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) के पद से हैं, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, असम राइफल्स मे ंसूबेदार मेजर(भेषजज्ञ),सूबेदार(भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार(भेषजज्ञ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः—

Note : Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Training - Member; and 4. Principal System Analyst or Sr. System Analyst or Programmer, Central Bureau of Investigation - Member. Group `B' Departmental Confirmation Committee (for consideration confirmation) consisting of:- 1. Joint Director (Admn.) or Joint Director, Central Bureau of Investigation – Chairperson; 2. Deputy Director(Admn.) or Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation - Member; 3. Director (Vigilance) or Deputy Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training - Member; and 4. Principal System Analyst or Senior System Analyst or Programmer, Central Bureau of Investigation – Member.	

[F.No. 213/1/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 2025

सा.का.नि. 77 — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1974 को, जहां तक उनका संबंध शिल्पकार अनुदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में शिल्पकार अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, शिल्पकार अनुदेशक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिल्पकार अनुदेशक।	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 - 81100) रुपये।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच । टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख़ वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)

आवश्यक : 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शिल्प कार्य में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष । टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): (I) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:- क. (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में (21700-69100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; या ख. जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1.अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंगअस्पताल -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.11018/39/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 4th June, 2025.

G.S.R. 77— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, (Class III posts) Recruitment Rules, 1974, in so far as they relate to the post of Crafts Instructor in the Safdarjung Hospital, New Delhi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Crafts Instructor in the Safdarjung Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Crafts Instructor (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay-matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any

person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Crafts Instructor.	01* (2025). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix. (Rs. 25500-81100)	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18-27 years Note 1: The upper age limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	Essential: (i) Class 12th pass from the recognised board; and (ii) Certificate or diploma in craft work from a recognised institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)

Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment.	By deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or the State Government or the Union territories or autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institute:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the post in the level-3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: - The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairperson; 2. Deputy Director (concerned) in the Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A.11018/39/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जून, 2025.

सा.का.नि. 78 — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ परफ्युजनिस्ट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ परफ्युजनिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-